भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 12

उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024

सोमवार, 31 आषाढ़, 1946 (शक)

जनजातीय क्षेत्र में युवाओं के कौशल विकास हेतु योजना

*12. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के युवाओं, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के कौशल विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के जनजातीय क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत अब तक कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है; और

(ङ) महाराष्ट्र राज्य में, विशेषकर पालघर जिले में शुरू किए गए और शुरू किए जाने वाले कौशल विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं के कौशल विकास के लिए स्कीम के संबंध में डॉ. हेमंत विष्णु सावरा द्वारा दिनांक 22.07.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 12 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार**,** स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से ह जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार होने में सक्षम बनाना है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई स्कीम देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनः कौशलीकरण प्रदान करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य निरक्षरों, नव-साक्षरों और प्राथमिक स्तर की शिक्षा रखने वाले तथा 15-45 वर्ष की आयु-वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों को "दिव्यांगजन" और अन्य पात्र मामलों में उचित आयु में छूट के साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी अल्प आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस): यह स्कीम शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में उद्योग कार्यस्थल पर बुनियादी प्रशिक्षण और कार्यरत प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस): यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई उद्योग में कुशल कार्यबल तथा युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करती है।

(ग) से (ङ) एमएसडीई की स्कीमें महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही हैं। कौशल विकास केंद्र खोलना मांग आधारित है। महाराष्ट्र राज्य और पालघर जिले में प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या तथा पीएमकेवीवाई, सीटीएस और एनएपीएस के अंतर्गत पालघर जिले में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

क्र.सं.	स्कीम का नाम	महाराष्ट्र में कौशल विकास केंद्रों की संख्या	पालघर जिले में कौशल विकास केंद्रों की संख्या	पालघर जिले में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या
1.	पीएमकेवीवाई प्रारंभन से दिनांक 30.06.2024 तक	461 (पीएमकेवीवाई 4.0 के अनुसार)	3 (पीएमकेवीवाई 4.0 के अनुसार)	3,661
2	सीटीएस (आईटीआई) वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक	1,042	17	11,543
3.	एनएपीएस वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक	8,235 (प्रतिष्ठान)	178 (प्रतिष्ठान)	7,022 (सम्बद्ध शिक्षु)

*****